न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : उम्मेदसिंह रतनू, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 15/2022

| | | |
|---|---|---|
| **प्रार्थी –**<br>राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर | ***बनाम*** | **अप्रार्थीगण –**<br>1. जेठानन्द पुत्र बिहारीलाल महेश्वरी निवासी गडरा रोड जिला बाड़मेर (मैसर्स मनीष किराणा स्टोर गडरा रोड जिला बाड़मेर का मैनेजर)<br>2. मनीष कुमार पुत्र जेठानन्द महेश्वरी निवासी गडरा रोड जिला बाड़मेर (मैसर्स मनीष किराणा स्टोर गडरा रोड जिला बाड़मेर का अनुज्ञापत्र धारक) |

**परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006**

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

**आदेश**

दिनांक : 05.07.2022

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.) सत्यमेव जयते

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 2 के प्रतिष्ठान **मैसर्स मनीष किराणा स्टोर गडरा रोड जिला बाड़मेर** पर निरीक्षण दिनांक **15.02.2022** को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड खुशाली (500 एमएल)** जो कि अलग–अलग पै[illegible] मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार 500–500 एमएल के **चार [illegible] ब्राण्ड खुशाली (500 एमएल)** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर [illegible] संख्या पी–[illegible] अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 [illegible] हेतु प्रप[illegible]) भरकर अप्रार्थीगण एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्ष[illegible] करवाये गये। उक्त [illegible] पदार्थ **घी ब्राण्ड खुशाली (500 एमएल)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2022.09.23 11:06:13 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड खुशाली (500 एमएल)** का नमूना **असुरक्षित खाद्य (Unsafe food)** पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नमूना की जांच निर्दिष्ट प्रयोगशाला से कराये जाने का निवेदन किया गया। इस पर उक्त नमूना जांच हेतु निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला पुणे को भिजवाया गया जिसमें जांच उपरान्त रिपोर्ट दिनांक **28.04.2022** में उक्त नमूना **अवमानक (Substandard) एवं Contravenes Regulations 2.3.8** स्तर का पाया गया है। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 ने जुर्म स्वीकारोक्ति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसके विरूद्ध लगाये गये जुर्म वह स्वेच्छा से लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर स्वीकार करता है। यह उसका प्रथम अपराध है और आगे से इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं होगी। लिहाजा उसके विरूद्ध उक्त प्रकरण में नरम रूख अपनाते हुए माफी प्रदान की जावे। अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी संख्या 2 के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला पुणे से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **28.04.2022** में उक्त नमूना **अवमानक (Substandard) एवं Contravenes Regulations 2.3.8** स्तर का पाया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार **Reichert Meissl Value** जिसका मानक स्तर न्यूनतम 24.0 (Areas other than Cotton Tract) & 21.0 (Cotton Tract Areas) for Gujrat Mfgd. के मुकाबले 6.29 तथा **Test for presence of foreign fat** का मानक स्तर Shall be absent के स्थान पर Present/Positive पाया गया है, जो कि मानक स्तर का नहीं है। इस पर प्रार्थी की ओर से यह परिवाद प्रस्तुत होने पर जरिये नोटिस जारी कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने जुर्म स्वीकारोक्ति प्रस्तुत कर नरम रूख अपनाते हुए माफी प्रदान करवाने का निवेदन किया। अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने प्रतिरक्षण में किसी प्रकार का ठोस एवं तथ्यात्मक जवाब नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2022.09.23 11:06:13 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)
सत्यमेव जयते

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

देना तथा अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के प्रति अपनी जिम्मेदारी से विमुख होने का प्रयास किया है क्योंकि जो खाद्य पदार्थ अपने प्रतिष्ठान में रखकर ग्राहकों को विक्रय किया जा रहा है तो उसकी गुणवत्ता के लिए उसका उत्तरदायित्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत अप्रार्थीगण का है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 पर संयुक्त रूप से **रूपये 2,50,000/–** का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 05.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)

(उम्मेदसिंह रतनू)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2022.09.23 11:06:13 IST
Reason: SelfAttested